

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2555/2025

बाबूलाल लववंशी

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2025

आदेश की दिनांक : 01.05.2025

## उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर वर्ष 1995 में हुई थी और उसे वर्ष 2004 में यूडीसी के पद पर तथा वर्ष 2017 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वर्ष 2022 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई और मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में ही पदस्थापित रखा गया। दिनांक 20.01.2025 को अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनोहरथाना, झालावाड़ में ही सेवायें देता रहा। आदेश

दिनांक 30.03.2025 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भींडर, उदयपुर पदस्थापित किया गया। जबकि मनोहरथाना, झालावाड में प्रशासनिक अधिकारी के पद रिक्त हैं, परंतु फिर भी अपीलार्थी को दूर पदस्थापित किया गया, जो नियम एवं विधि विरुद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मनोहरथाना, झालावाड में पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)